

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी।

09.03.2024-

उक्त चालानी का निस्स्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जा चुका है।  
विस्तृत आदेश भिन्न फलक पर अंकित है। आदेश पत्रावली के साथ संलग्न है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
कौशाम्बी।